

तारीख हुक्म	<p style="text-align: center;">हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा प्रकरण संख्या 29/2026 रे0फो0 राजस्थान राज्य बनाम उदयलाल 1</p>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की
	<p>दिनांक : 21.02.2026</p> <p>सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित।</p> <p>अभियुक्त उदयलाल व देउबाई मय अधिवक्ता श्री मदनलाल टांक उपस्थित।</p> <p>अभियुक्त अर्जुनलाल अनुपस्थित। अधिवक्ता श्री मदनलाल उपस्थित।</p> <p>अभियुक्त की ओर से जरिये अधिवक्ता हाजरी माफी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जो बाद सुनवाई आज के लिए स्वीकार किया गया।</p> <p>पत्रावली साक्ष्य अभियोजन के स्तर पर है। साक्ष्य अभियोजन में गवाह बाबूलाल व हरिनारायण का जमानती वारंट बाद तामील व गवाह पूर्णाशंकर, किशनलाल का जमानती वारंट अदम तामील प्राप्त हुआ।</p> <p>साक्ष्य अभियोजन में गवाह पूर्णाशंकर पीडब्ल्यू 10, हरिनारायण पीडब्ल्यू 11 व बाबूलाल पीडब्ल्यू 12 के बयान लेखबद्ध किए गए, अन्य कोई गवाह उपस्थित नहीं।</p> <p>साक्ष्य अभियोजन में गवाह संख्या 08 हरिराम, गवाह संख्या 13 किशनसिंह व गवाह संख्या 16 रविन्द्रसिंह को जरिये जमानती वारंट 5,000/- रुपये से तलब किया जावें।</p> <p>गवाहान को जारी वारंट पर प्रकरण इस न्यायालय का टारगेट केस होने पर अंतिम गवाह शेष होने आवश्यक रूप से तामील का लालस्याही से नोट अंकित किया जावें।</p> <p>गवाहान की तामील की प्रति एसपी राजसमंद को प्रेषित की जावें एवं सहायक अभियोजन अधिकारी को नोटेड करवाया जावें।</p> <p>पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 27.02.2026 को पेश हो।</p>	